

23/6/25

14

पत्रां पेरा दुई दावा अदम पैरवी अदम
 हाजिरी में खारिज किया जा चुका है।
 फां पत्र 212 राम का कोई औचित्य
 नहीं है। अतः फां पत्र 212 राम इसी
 स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रां

फैसल शुमार होकर कारिबल दफ्तर
 में

